राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग/नर्स–2/(सीधी भर्ती 2013)/2017/ 517 दिनांकः 07/11/17

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमो के अन्तर्गत नर्स द्वितीय के पद पर प्रमुख शासन सचिव, महोदय के आदेश क्रमांक निस/पीएचएस/चिस्वा/2015/20 दिनांक 05.02.201[illegible] के द्वारा गठित परिवेदना निस्तारण एवं चयन समिति की अभिशंषा दिनांक 09.02.2016 के द्वारा 118 एवं अभिशंषा दिनांक 04.08.2016 के द्वारा प्रतीक्षा सूची में से 20 अभ्यर्थियों का नर्स श्रेणी द्वितीय के पद पर प्रोविजनल चयन किया गया था, जिसमें क्रमशः 1 एवं 7 कुल 08 अभ्यर्थियो के आक्षेपो की पूर्ति संबंधित राज्य के मिशन निदेशक, एनएचएम एवं जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा पूर्ति कर दिये जाने एवं परिवेदना निस्तारण एवं चयन समिति की बैठक दिनांक 11.09.2017 में चयन करने के फलस्वरूप निम्न 08 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन कर नर्स द्वितीय के पद पर पे–बैण्ड 9300–34800 ग्रेड–पे 4200 में कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति की जाकर इनका पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन किया जाता है:–

S. No.	Appl No.	Applicant Name	Father's Name	Date of Birth	Gender	Category	Other Special Categories	Applicable 85 %	Bonus Marks as per Verified Exp.	Total	Place of Posting
1	602003[illegible]954	Kavita Devi	Babu Lal	2-Feb-83	Female	S.C.	NA , NA	54.230	15	69.230	Supt. J.K.Loan, Jaipur
2	602003[illegible]574	Urmila Devi Sharma	Babu Lal Sharma	15-Jan-86	Female	General/ Unreserved	NA , NA	59.703	5	64.703	Supt. J.K.Loan, Jaipur
3	602002[illegible]149	Ombati Devi	Devi Ram Meena	8-Nov-81	Female	S.T.	NA , NA	49.022	5	54.022	Supt. J.K.Loan, Jaipur
4	602002[illegible]331	Karna Ram	Bala Ram	7-Aug-85	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	NA , NA	59.632	5	64.632	Supt. M.D.M. Hospital Jodhpur
5	6020012[illegible]80	Bhanwar Lal Purvya	Dhanna Lal Purvya	13-Dec-82	Male	General/ Unreserved	NA , NA	54.269	15	69.269	Supt. Mental Hospital, Jaipur
6	602003[illegible]62	Mohammed Shakir Abbasi	Fath Mohammed Abbasi	12-jun-81	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	NA , NA	49.790	15	64.790	CMHO, Bikaner
7	6020022[illegible]37	Inderjeet Beniwal	Sharwan Kumar	30-Jul-71	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	NA , NA	49.594	15	64.594	CMHO, Bikaner
8	6020038[illegible]94	Rajesh Kumar	Krishan Lal	8-Jun-81	Male	O.B.C. (Non-Creamy layer)	NA , NA	49.578	15	64.578	CMHO, Bikaner

चयनित अभ्यर्थियों को दो वर्ष के प्रोबेशन काल में वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः–एफ 14(1)/एफडी (रूल्स)/2013–Pt दिनांक 08.06.2015 द्वारा निर्धारित नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रूपये 14660/– प्रतिमाह कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा। दो वर्ष का प्रोबेशन काल संतोषजनक पूर्ण करने पर इन्हें नर्स श्रेणी द्वितीय के पद की नियमित पे– बैण्ड में ग्रेड–पे देय होगी।

यह पदस्थापन सूची रिट संख्या 235/2016 द्वारा श्री रनधीर सिंह डागुर एवं श्री विनय प्रकाश तिवाडी व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 29.01.2016 के अध्यधीन तथा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवम् माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर व अन्य माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में पारित होने वाले निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।

पदस्थापन सूची निम्न शर्तो के अध्यधीन जारी की जा रही है:–

1 उपरोक्त वर्णित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/पैरामेडीकल/सीधी भर्ती–2013/2015/390 दिनाँक 18.09.2015 जिसकी प्रति पूर्व में ई-मेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी है, (प्रति पुनः संलग्न हैं) में उल्लेखित अनुसार जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निदेशालय के पत्र संख्या नर्सिंग/पैरामेडीकल/सीधी भर्ती–2013/ 2015/391 दिनाँक 18.09.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों, विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तो की पूर्ति बाबत पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराया जायेगा।

2 परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

3 वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः एफ.13 (1)/एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.04 के अनुसार उक्त नवनियुक्त कर्मचारियों पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

4 उपरोक्त वर्णित अभ्यर्थियों की जन्म तारीख उनके सैकेण्ड्री के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्मतिथि का जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा सत्यापित किया जाता है।

5 दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा।

6 अभ्यर्थियों द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड कर उपस्थिति प्रस्तुत की जा सकती है। अभ्यर्थी जिनका पदस्थापन किसी भी संस्थान में किया गया हो प्रथमतः अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी, कार्यालय में ही देगें। संबंधित सीएमएचओ द्वारा जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंषा के उपरांत जिला कलेक्टर के अनुमोदन से अभ्यर्थियों को अपने अधीन अथवा जिन संस्थानों में पदस्थापन किया गया है में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करेगें।

7 उक्त सभी अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करते समय उक्त समिति के सम्मुख स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस वेरीफिकेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति, आरएनसी का 02.4.13 तक पंजीयन एवं कार्यग्रहण करने की तिथि तक नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्रों की छायाप्रति जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है, के मूल दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत करने होगे। सभी छाया प्रति स्वप्रमाणित प्रस्तुत करनी होगी। समक्ष अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मेडिकल ज्यूरिस्ट/मु.चि.एवं स्वा.अधि.) एवं सबंधित जिले के पुलिस अधोक्षक द्वारा जारी पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र ही मान्य होगें।

8 अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी, परिवर्तित अथवा कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे। साथ ही दोषी के विरूद्ध न्यायिक/दण्डिक कार्यवाही की जावेगी।

9 अभ्यर्थी का पदस्थापन जिस संस्थान में किया गया है उस संस्थान के कार्यालध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी के समस्त मूल दस्तावेज प्राप्त कर जारी करने वाली सबंधित संस्था से सत्यापन करायेगें। सत्यापन होने एवं सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को उनके मूल दस्तावेज लोटाये जावेगें। अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किए जावेंगे। यदि कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूटरचित पाया जावे तो तत्काल निदेशालय से मार्ग दर्शन प्राप्त करें।

10 यह नियुक्तियॉ संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन है।

11 राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे। परिपत्र दिनांक 22.05.2006 के जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थियों को इस आशय का नॉन ज्यूडिशियल स्टॅाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12 नवचयनित अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जावे कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का धूमपान अथवा नशा नहीं किया जावेगा।

13 गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक(क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प015(1) कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.8.05 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।

14 अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग का नवीनतम जाति प्रमाण पत्र कार्यग्रहण करने की तिथि से छःमाह पूर्व तक की अवधि का राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये, जिसमें क्रीमीलेयर/नॉनक्रीमीलेयर की प्रविष्टि स्पष्टतः अंकित होनी चाहिये। इन वर्गो के क्रीमीलेयर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है।

15 जिन अभ्यर्थियों को चयन में अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिये हैं, उन्हें विज्ञप्ति में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिये अधीकृत अधिकारी द्वारा जारी मूल अनुभव प्रमाण पत्र कार्य ग्रहण के समय प्रस्तुत करना होगा।

16 ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अन्य राज्यों में एनआरएचएम योजना के अन्तर्गत कार्य अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया गया है इन अभ्यर्थियों का आवेदन करने की अन्तिम तिथि 02.04.2013 को राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन एवं कार्य ग्रहण तिथि को पंजीयन नवीनीकृत होना अनिवार्य है।

17 संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उनके अधीन पदस्थापित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जिला कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात जारी किये जावेगें।

18 अभ्यर्थियों के पुलिस चरित्र सत्यापन के संबंध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 15.07.2016 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी

19 इस आदेश की पालना में कार्यग्रहण किये जाने की अंतिम तिथि 29.11.2017 निर्धारित है। निर्धारित तिथि पश्चात् आदेश स्वतः ही निरस्त समझें जावेगें।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः नर्सिग/नर्स–2/(सीधी भर्ती 2013)/2017/517 दिनांकः 07/11/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2 निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4 निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम एवं विशिष्ठ शासन सचिव, चि0 एवं स्वा0विभाग, राज0, जयपुर।
5 संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6 संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप– 3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7 संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
8 निदेशक, (जन स्वा./आर.सी.एच.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
9 संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
10 संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज।
11 अधीक्षक, मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर/अधीक्षक जे.के.लोन चिकित्सालय, जयपुर/अधीक्षक मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।
12 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।
13 संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित कर लेख हैं कि निदेशालय के आदेश संख्या 390 दिनॉक 18.09.2015 की पालना में तत्काल संबंधित जिला कलेक्टर महोदय से सम्पर्क कर जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति की अध्यक्षता हेतु जिला कलेक्टर से प्रतिनिधि मनोनीत करवाऐं तथा समिति की बैठक आयोजित करवाकर निदेशालय के आदेश

क्रमांक 391 दिनाँक 18.09.2015 में वर्णित समस्त बिन्दुओं तथा निम्नांकित बिन्दुओं पर सत्यापन/परीक्षण की कार्यवाही करके अभ्यर्थियों को उनके पदस्थापन स्थान के लिये जिला कलेक्टर के अनुमोदन के उपरान्त आदेशित करें :–

(i) अभ्यर्थी का जिस जाति वर्ग(ओबीसी/एसबीसी/एससी/एसटी/एससी टीएसपी/एसटी टीएसपी /सहरिया) में चयन हुआ हैं उसके संबंध में कार्यग्रहण तिथि को वैद्य मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं उसके सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावे।

(ii) जिन अभ्यर्थियों का चयन एसटी (टीएसपी)/एससी (टीएसपी) क्षेत्र के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदो के विरूद्ध किया गया है उनके द्वारा टीएसपी क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करावें।

(iii ओबीसी/एसबीसी वर्ग में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण तिथि को वैद्य नवीनतम जाति प्रमाण पत्र (नॉन क्रिमीलेयर) प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण करावें।

(iv आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम अथवा पिता एवं पति दोनो के नाम से राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने पर ही कार्यग्रहण करावे. केवल पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं हैं।

(v) शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एवं सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।

(vi अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित अंको तथा आवेदन के साथ प्रस्तुत अंकतालिका की छायाप्रति के आधार पर मेरिट में अंक उल्लेखित किये गये है। यदि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत मूल अंकतालिकाओं के अंको में भिन्नता हो तो कार्यग्रहण नही कराया जावे।

(vii) राज्य एवं राज्य के बाहर के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अध्यधीन कार्यग्रहण करावे तथा संबंधित संस्था से सत्यापन हो जाने एवम् सही पाये जाने के पश्चात ही प्रार्थी को मूल दस्तावेज लौटावें।

(viii) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दिये गये तथ्य तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के सही होने बाबत संलग्न प्रपत्र में शपथ प्रस्तुत कराना होगा।

(ix दस्तावेजो में किसी भी प्रकार की कांट–छांट/कूटरचित हो तो तत्काल निदेशालय को अवगत करावें एवं अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण नही करावें।

(x उक्त निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्रचलित नियमों की पालना सुनिश्चित करें।

(x मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त अभ्यर्थियों को जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित समिति तथा जिला कलेक्टर अनुमोदन के पश्चात संबंधित संस्थान में कार्यग्रहण करने हेतु अभ्यर्थियों को लिखित आदेश देंगे।

14 संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता हैं कि वह सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजों के साथ अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेगें। उसके पश्चात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से लिखित आदेश प्राप्त कर उनके लिये आवंटित स्थान पर पदभार ग्रहण करे।

15 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।

16 आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर।